



महिला मुद्दे पर चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी का अपमान

>> 3

दैनिक जागरण

जहां हुई थी दरिंदगी, वहीं आरोपित ढेर

हैदराबाद में डॉक्टर से हैवानियत करने वाले चार आरोपितों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

सुबूत की तलाश में घटनास्थल पर ले जाए गए थे आरोपित, तभी हुई भागने की कोशिश

मुठभेड़ करने वाले पुलिसकर्मियों पर लोगों ने बरसाए फूल, मानवाधिकार आयोग ने दिया जांच का आदेश

हैदराबाद, एजेंसियां : महिला पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने और शव को जलाने वाले चारों आरोपितों को पुलिस ने शुक्रवार तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। यह संयोग ही है कि हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिस पुलिस के नीचे महिला चिकित्सक के शव को जलाकर दरिंदों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी, उसी जगह सुबूत की तलाश की थी, उसी जगह सुबूत की तलाश की थी, लेकिन बहुत दूर तक भाग नहीं पाए।



तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शादनगर में शुक्रवार को महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपितों को ढेर किए जाने के बाद मोके पर जुटे लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पुष्पावली की ● एपी

ईट-पत्थर चलाते हुए भागे। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलायी पड़ी और चारों मारे गए। एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी सिर में चोट आई है। खबर मिलते ही झूम उठे लोग: आरोपितों के मारे जाने की खबर मिलते ही लोग खुशी से झूम उठे और बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गए। लोगों ने पुलिस को कंधे पर उठा लिया और पुलिस टीम पर फूल बरसाए। एनएचआरसी ने दिए जांच के आदेश: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने घटना की जांच के आदेश देते हुए कहा है कि पुलिस

मुठभेड़ चिंता का विषय है। इसकी सही तरीके से जांच कराई जाएगी। उधर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चारों आरोपितों के शव नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश से एनकाउंटर की शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। ऐसी अन्य घटनाओं में शामिल होने का संदेह: सज्जानार ने बताया कि पीड़िता और चारों आरोपितों की डीएनए प्रोफाइलिंग और वैज्ञानिक डेटा व साक्ष्य जुटाए गए हैं। हम कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से भी महिलाओं की गुमशुदगी और उनके जले शव बरामद

किए जाने का डेटा जुटा रहे हैं। हम संदेह कि आरोपित दूसरे गन्धों में भी इस तरह के अपराध में शामिल रहे होंगे। बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी: पुलिस मुठभेड़ में चारों दरिंदों के मारे जाने की खबर महिला चिकित्सक के परिजनों को टीवी के जरिये मिली। पीड़िता के पिता ने बेटी के कालिलों को मार गिराने वाली पुलिस के साथ ही तेलंगाना सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही दुष्कर्म की इस घड़ी में उनके साथ खड़े लोगों का भी आभार जताया। पीड़िता की बहन ने कहा कि उसकी बहन जिंदा तो नहीं हो सकती, लेकिन दरिंदों के मारे जाने से

ऐसे चली कार्रवाई
3:00 तड़के साइबरवाद पुलिस महिला पशु चिकित्सक के साथ दरिंदगी करने वाले चारों आरोपितों को सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल शादनगर के चटनपल्ली स्थित पुलिस पर ले गईं

5:45 पुलिस के मुताबिक सुबह धुंध होने के चलते आरोपितों ने आपस में झगारा कर भागने की योजना बनाई। आरोपितों ने इसके बाद हथियार छीनकर भागने की कोशिश की

6:15 करीब आधे घंटे चली मुठभेड़ में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और चारों आरोपितों को ढेर कर दिया।

उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। इस घटना से दूसरों में भी डर पैदा होगा। निर्भया की मां ने जताई खुशी: हैदराबाद कांड ने दिल्ली में 2012 में निर्भया के साथ हुई घटना की याद दिला दी। निर्भया की मां ने खबर पर खुशी जताते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस ने एक नजीर पेश की है। उन्होंने यह भी कहा कि दरिंदों को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

हैदराबाद का इसफा >> पेज 5-6
मुठभेड़ का सच >> संपादकीय

जागरण पड़ताल

आवमन के लायक भी नहीं गंगा, क्या करेंगे पीएम!

कानपुर : चर्चा है कि 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन नमामि गंगो की समीक्षा करने के लिए कानपुर पहुंचेंगे तो गंगाजल से आवमन भी करेंगे...। कानपुर के लोगों और सतों की मानें तो यहां आवमन प्रधानमंत्री के लिए किसी वेलेंज से कम न होगा, क्योंकि जल बुरी तरह से प्रदूषित है। (पेज-10)

जागरण विशेष

नो ब्रोकर! अदद कमरे की तलाश में शुरू किया स्टार्टअप

नई दिल्ली : दो आइआइटीएस मेरठ के सीरिभ गर्म और हापुड के अमित अग्रवाल की सफलता की कहानी, जिनका स्टार्टअप 'नो ब्रोकर' रेट-सेल-परसेस के बिजनेस में बिना कमीशन लिए भी बड़ा मुनाफा कमा रहा है। (पेज-10)

विश्वास News

गोडसे पर अक्षय की वायरल हो रही पोस्ट फर्जी

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

'पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को मिलेगी राहत'



नई दिल्ली में शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेर

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किए जाने के पहले ही जहां राजनीतिक चमत्काम मचा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि यह ऐसे लाखों लोगों के लिए सुनहरा कल लेकर आया जो धार्मिक आधार पर दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। कैबिनेट से विधेयक मंजूर होने के बाद उन्होंने पहली बार इस संबंध में बयान दिया है। यह विधेयक सोमवार को संसद में पेश होगा।

शुक्रवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विधेयक का नाम लिए बगैर जहां सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया, वहीं राम मंदिर और इस विधेयक के प्रभाव पर भी बोले। उन्होंने कहा, 'हम हमेशा भूतकाल की बेड़ियों में बंधे नहीं रह सकते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कई

लोग आशंका जता रहे थे कि इसके बाद देश में अशांति आएगी, लेकिन जनता ने ऐसे लोगों को गलत साबित कर दिया।' इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में कई लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जिनमें भारत में विश्वास है हम उनके भविष्य के लिए संकल्पित हैं। ध्यान रहे कि नागरिकता संशोधन विधेयक में बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस, तृणमूल, वाम जैसे दलों की ओर से इसका खुला विरोध किया जा रहा है जबकि कई दल अभी चुप हैं। वहीं भाजपा को विश्वास है कि सहयोगी दलों के साथ साथ कई गैर राजग- गैर संग्रम दलों की ओर से भी इसे समर्थन मिलेगा।

जिंदगी की जंग हार गई उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाई गई उन्नाव निवासी सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता शुक्रवार देर रात आखिरी जिंदगी की जंग हार गईं। यहां सफदरजंग अस्पताल में रात 11.40 बजे पीड़िता ने अंतिम सांस ली। सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

गुरुवार देर शाम 95 फीसद जली अवस्था में पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता ने दिन में बताया था कि ऐसे गंभीर मामलों में इलाज बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात आठ से साढ़े आठ बजे के दौरान पीड़िता बात कर पा रही थी। वह अस्पताल में मौजूद अपने बड़े भाई से पूछ रही थी कि भइया क्या मैं बच जाऊंगी, मैं जीना चाहती हूँ। आरोपितों को छोड़ना नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि इस दौरान उन्हें सांस लेने और बोलने में काफी तकलीफ भी हो रही थी।

भाई ने कहा, दरिंदों को मिले मौत की सजा : दिन में मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के भाई ने कहा था कि हैदराबाद में गुनाहगारों को सजा मिल चुकी है। उनकी बहन से दरिंदगी करने वालों को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार व पुलिस उनकी मदद कर रही है। बस बहन जल्दी से ठीक हो जाए। पीड़िता की मां भी दिल्ली आई थीं, लेकिन सह काफी परेशान हो रही थीं इसलिए घर भेज दिया गया।

भ्रष्टाचार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के घर समेत पांच जगह सीबीआइ छापे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सीबीआइ की दिल्ली स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एंटी करप्शन ब्रांच) ने उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन शुक्ला, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आइएम कुदूसी समेत छह नामजद आरोपितों, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद लखनऊ और मेरठ में पांच स्थानों पर छापे मारे। एजेंसी की टीम ने दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर छापे मारे। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश एसएन शुक्ला पर लखनऊ स्थित प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पक्ष में निर्णय देने के लिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। चार माह पहले रंज के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) देशन गोपाली ने सीबीआइ को शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दी थी।

भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र : सीबीआइ ने न्यायाधीश एसएन शुक्ला, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आइएम कुदूसी, दिल्ली निवासी भावना पांडेय, लखनऊ निवासी भगवान प्रसाद यादव, पलाशा यादव, मेरठ में सुधीर गिरि के घर पर छापे मारे। सुधीर का मेरठ मेडिकल कॉलेज है। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट व अन्य के खिलाफ

जस्टिस शुक्ला व उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व जज कुदूसी समेत छह के खिलाफ दर्ज है केस

लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का आरोप



सीबीआइ मुख्यालय (फाइल फोटो)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व आपराधिक षड्यंत्र की धारा के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआइ ने एसएन शुक्ला के सुरांत गोल्फ सिटी स्थित एक फ्लैट पर भी छानबीन की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपितों के घरों पर छापों के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस मामले में आरोप है कि शुक्ला ने आरोपितों को राहत पहुंचाने और उनके पक्ष में फैसला देने के एवज में घूस ली। शुक्ला ने आरोपितों से अपने घर पर फैसले देने से पहले रकम हासिल की।

यह है मामला

केंद्र सरकार ने मई 2017 में लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मानक स्तर की सुविधाएं न होने तथा जरूरी मापदंड पूरे न करने के चलते छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगा दी थी। 146 अन्य मेडिकल कॉलेजों पर भी इसी आधार पर दाखिला देने पर पाबंदी लगायी गयी थी। ट्रस्ट ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरोप है कि सीबीआइ के केस में नामजद आरोपितों ने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले लिया था। इसके बाद 24 अगस्त 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अन्य याचिका दायर की गई। सीबीआइ की एफआइआर में आरोप है कि न्यायमूर्ति शुक्ला की भागीदारी वाली खंडीट ने 25 अगस्त 2017 को याचिका पर सुनवाई की और उसी दिन ट्रस्ट के पक्ष में आदेश दे दिया था। पक्ष में फैसला देने के लिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पक्ष में फैसला आने के बाद मेडिकल कॉलेज में छात्रों का दाखिला कर लिया गया था। इस मामले में सीबीआइ ने कोर्ट के आदेश पर प्रारंभिक जांच की थी।

घरेलू हिंसा कानून

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए पुरुषों को ही अपराधी मानने की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की



पुरुषों संग भेदभाव पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून में पुरुषों के साथ भेदभाव पर चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि किसी महिला द्वारा शिकायत करने पर पुरुष को तुरंत ही क्यों दोषी मान लिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायत मिलते ही ट्रायल कोर्ट भी आरोपित को अपराधी समझने लगता है। अक्सर शुरुआती दौर में ही गिरफ्तारी के लिए वारंट तक जारी कर दिया जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

जस्टिस फतेहदीप सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जज को ऐसे मामलों में यह प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रकार विवाद का निपटारा हो जाए और प्रतिवादी को भी न्याय मिल सके। पीठ ने आदेश की प्रति हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी न्यायिक अधिकारियों को भी सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिससे विचारण न्यायालय फैसले के दौरान इस बिंदु को ध्यान में रखें। घरेलू हिंसा कानून को पुरुषों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए पीठ ने समानता के अधिकार के प्रावधानों को लागू करने



पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

पीठ ने पूछा, 21 प्रोटेक्शन ऑफिसर में एक भी पुरुष नहीं, क्यों?

जस्टिस फतेहदीप सिंह की पीठ ने कहा कि हरियाणा में 21 प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, लेकिन उनमें एक भी पुरुष नहीं है। इसी प्रकार पंजाब में 154 प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जिनमें 30 पुरुष और बाकी 124 महिलाएं हैं। चंडीगढ़ में केवल पांच प्रोटेक्शन

ऑफिसर हैं। पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत मदद के लिए एक तो कम अधिकारी हैं और जो हैं भी, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस स्थिति में घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकेगा।

कि एक ही समस्या के लिए कई विकल्प देना कहां तक जायज है? महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने का संकल्प 1981 में इस आशय के साथ लिया गया था कि सभी प्रदेश इस दिशा में काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए छह नई याचिकाएं दाखिल

नई दिल्ली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को छह नई याचिकाएं दाखिल की गईं। वकील एमआर शमशाद के माध्यम से दाखिल की गई याचिकाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और जफरयाब जिलानी ने अंतिम रूप दिया है। धवन ने इससे पहले कहा था कि मुस्लिम पक्ष ने उन्हें पुनर्विचार मामलों से अलग (पेज-6)

सरकारी राहत के बिना बंद हो जाएगी वोडा-आइडिया: बिड़ला

नई दिल्ली : भारी घाटे और वित्तीय संकट से जुड़ा रही वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा है कि यदि सरकार एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले पर कंपनी को अपनी ओर से राहत नहीं देती है तो यह बंद हो जाएगी। बिड़ला ने कहा, 'यदि हमें कुछ नहीं मिला तो पुझे लगता है कि यह वोडाफोन आइडिया की कहानी का अंत है।' उन्होंने यह भी कहा दिया कि राहत नहीं मिलने पर वह कंपनी को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में ले जाएंगे। (पेज-12)

जेपी के घर खरीदारों को नहीं मिलेगा विलंब मुआवजा

नई दिल्ली, प्रेर : जेपी इन्फ्राटेक के 20,000 से ज्यादा घर खरीदारों को उनके फ्लैट के निर्माण में हुई देरी के एवज में कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। दिवाल्या प्रक्रिया के तहत जेपी इन्फ्राटेक ने आरोपितों को राहत पहुंचाने और उनके रियल्टी ने बोली लगाई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों की अंतिम बोली में घर खरीदारों के विलंब मुआवजा के लिए कोई रकम नहीं रखी गई है। इसका मतलब यह है कि बोली चाहे कोई भी कंपनी जीते, घर खरीदारों को विलंब मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जेपी इन्फ्रा के कर्जदाताओं को भी 3,700 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ेगा।

जेपी इन्फ्रा के सेक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के 9,763 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत किए गए थे। लेकिन घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू करीब 13,000 करोड़ रुपये होने के बावजूद दोनों बोलीकर्ताओं ने बकाया रकम के केवल

62 प्रतिशत भुगतान की पेशकश की है। कंपनी के घर खरीदारों को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान 325 करोड़ रुपये का विलंब मुआवजा मिला है। लेकिन अब दोनों बोलीकर्ता कंपनियों ने उनके लिए किसी भी रकम का प्रावधान नहीं किया है।

असल में दोनों बोलीकर्ताओं ने जेपी इन्फ्रा के लिए नकद भुगतान की मात्रा बेहद कम रखी है। इसकी जगह उन्होंने कंपनी की भू-संपत्तियों को कर्जदाताओं में बांटने पर जोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में जेपी इन्फ्राटेक का राजस्व 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है और कंपनी का कर-पूर्व लाभ भी 43 करोड़ रुपये रहा। जेपी इन्फ्रा का मूल्य करीब 3,500 करोड़ रुपये है।

मुठभेड़ का समर्थन, विरोध में भी सुर

आम लोगों के साथ-साथ राजनेता भी समर्थन में, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश का नतीजा है कि हैदराबाद में आरोपितों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का लोगों ने खुलकर समर्थन किया। वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत कुछ राजनेताओं ने आरोपितों को इस तरह सजा देने पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग भी उठाई। यही नहीं, इस मुद्दे पर एक ही पार्टी के अलग-अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी अलग-अलग देखने को मिली। यहां तक कि इस मुद्दे पर महिला सांसदों की राय भी बंटती देखी।

हैदराबाद में सुबह पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर तेलंगाना पुलिस के लिए बधाइयों का ताता लग गया। गुज्यसभा में पहले ही आरोपितों की लिंगिंग (भीड़ के हवाले

करना) की मांग करने वाली सपा सांसद जया बच्चन ने मुठभेड़ का समर्थन करते हुए कहा, 'देर आए, दुर्घटना आए।' लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती भी मुठभेड़ के पक्ष में खुलकर सामने आए। भाजपा की ओर से मीनाक्षी लेखी ने मुठभेड़ का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस के पास हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए भी होते हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और राकांपा के साथ-साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मुठभेड़ में आरोपितों के मार गिराए जाने को गैरन्यायिक के मुद्दा बनाते हुए इसकी जांच की मांग की। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने संसद परिसर में कहा, 'जो भी हुआ है बहुत


भयानक हुआ है इस देश के लिए।' उन्होंने कहा कि यदि कानूनी प्रक्रिया पूरा किए बिना ही उन्हें मार देते हैं तो फिर देश में अदालत, कानून और पुलिस की क्या जरूरत है। पी. चिदंबरम ने मुठभेड़ की जांच की मांग करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वह इसकी विस्तृत जांच चाहते हैं ताकि यह साफ हो सके कि यह मुठभेड़ असली थी या फिर फर्जी। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि शंकर मुठभेड़ पर सवाल उठाने से बचते दिखे। उन्होंने गैरन्यायिक हत्या का विरोध करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने तक हमें इसकी आलोचना करने से बचना चाहिए। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुठभेड़ में आरोपितों के मारे जाने पर आम लोगों में खुशी को दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आक्रोश का



तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शादनगर में शुक्रवार को पुलिस ने महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपितों को एनकाउंटर में डेर कर दिया। इसके बाद मौके पर साक्ष्य जुटाते फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जुटे लोग। ● ट्रेड

संस्कारों की कमी है घटनाओं की वजह

दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण युवाओं में संस्कारों की कमी और खुद पर संयम न होना है। यदि खुद पर संयम नहीं है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वह सही या गलत में अंतर कर सके। इसी मानसिक स्थिति के दौरान वह दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसके बाद स्वयं को बचाने और सुबुत खत्म करने के उद्देश्य से हैदराबाद और उन्नाव जैसी वीथिस घटनाएं सामने आती हैं। अगर आरोपित यह मानते हैं कि वे दुष्कर्म के बाद पीड़ित को जलाकर बच सकते हैं तो उनकी गलतफहमी है। युवाओं में अशिक्षा, परिवार से अलग रहना और अकेले रहना भी दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने का कारण है। इसके साथ ही जब व्यक्ति को शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो संयम खोने की स्थिति में वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाया जाए। सीसीटीवी कैमरों के जरिये लगातार और अधिक से अधिक स्थानों पर मॉनिटरिंग की जाए। विशेष रूप से ऐसे स्थान, जहां रात में लोगों की आवाजाही कम हो जाती है, वहां अगर सीसीटीवी से निगरानी संभव नहीं है तो वहां पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी होने से इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के मन में एक डर रहता है। इसके अलावा, ऐसी घटनाएं होने के बाद पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिनकी जल्दी और कड़ी सजा दोषियों को मिलेगी, उससे अपराधियों के मन में ऐसी घटनाएं न करने का डर पैदा होगा, जो बहुत जरूरी है। कानून का डर होने से अन्य अपराधों की तरह दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। अश्लील साहित्य को लेकर अब तक ऐसा कोई सर्वे या अध्ययन सामने नहीं आया है कि ऐसा देखने या पढ़ने वालों ने दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया हो। यह एक वजह तो हो सकती है, लेकिन यहां सवाल फिर से मानसिक स्थिति और संयम का ही खड़ा होता है। संवर्धित, संस्कारित और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी भी दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता।



नीरज कुमार पूर्व पुलिस आयुक्त, दिल्ली

इस तरह डेर हुए आरोपित

पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। पुलिस ने कहा कि वह आरोपितों को घटनास्थल पर लेकर गई थी। इसी दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और फरार होने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस की ओर से की गई जावबी कार्रवाई में सभी आरोपित मारे गए। साइबरवाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं की जहां पर आरोपितों को मौत घाट उतारा गया। आइये तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं कि तेलंगाना पुलिस ने यह एनकाउंटर कैसे अंजाम दिया।



घटनास्थल पर पहुंचते ही आरोपितों ने पुलिस पर हमला बोल दिया।

दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई


दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।



मुठभेड़ में चारों आरोपित मारे गए।

घटनास्थल की ओर चली बस

घटनास्थल की ओर चली बस।



इन्टरनेट पर सर्व सुलभ पोर्नोग्राफी हैदराबाद या निर्भया कांड जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं?

यूवा इंटरनेट पर सर्व सुलभ पोर्नोग्राफी हैदराबाद या निर्भया कांड जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं? mudda@jagran.com पर आए अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

25% देश में दर्ज दुष्कर्म के अपराधों में से औसतन इतने मामले में हो पाती है लोप सिद्धि। बाकी मामलों किसी न किसी आधार पर आरोपित सजा पाने से दूर रह जाते हैं।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वीसी सज्जानार

वारांगल में एंसिड फेंककर महिला की हत्या के तीन आरोपितों का एनकाउंटर करने के प्यारह साल बाद, तेलंगाना पुलिस ने अब हैदराबाद में पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर जला देने के आरोपितों का एनकाउंटर किया है। जिस अधिकारी ने इन दोनों एनकाउंटर में अहम भूमिका निभाई, वह 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी वीसी सज्जानार हैं। वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं।

कई पद संभाले: साइबरवाद पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात होने से पहले, सज्जानार ने नक्सल विरोधी इकाई और स्पेशल इंटील्लिजेंस ब्रांच के आइजी के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में कई शीर्ष माओवादीयों की गिरफ्तारी हुई और कड़वों ने आत्मसमर्पण किया। इसलिस्ट भी किया जाता है याद: तेलंगाना के मेदक जिले के एसपी रहते हुए उन्होंने अफीम तस्कर का एनकाउंटर किया था, जिन पर पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या के आरोप थे। उनको नक्सल नेता नड्डमुद्दीन की हत्या के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने नड्डमुद्दीन की हत्या तब की थी जब वो आइजी स्पेशल इंटील्लिजेंस ब्रांच थे। सोशल मीडिया पर छायें: सोशल मीडिया पर एनकाउंटर के लिए जहां लोग एक ओर सज्जानार को हीरो बता रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कानून के राज में इस तरह की घटना को अंजाम देना खतरनाक साबित हो सकता है।



घटनास्थल पर पहुंचते ही आरोपितों ने पुलिस पर हमला बोल दिया।



दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।



घटनास्थल की ओर चली बस।




हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आम तौर पर खुशी जताने वाली थी। ऐसा ही एक नजारा पटना में भी देखने को मिला, जहां छात्रों ने इस तरह अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। ● ट्रेड

कानूनी विशेषज्ञों ने की तत्काल जांच की मांग

नई दिल्ली, आइएनएस : कानूनी विशेषज्ञों ने हैदराबाद में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के आरोपितों के एनकाउंटर में मारे जाने की तत्काल जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि न्याय प्रणाली और न्यायिक मानवाधिकार में एक संतुलन होना चाहिए। प्रशासन को तत्काल घटना की जांच शुरू कर देनी चाहिए। प्रशासन को इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि यह सही में मुठभेड़ थी या पुलिस ने कोई खेल किया। वरिष्ठ वकील पुनीत मित्तल ने कहा कि इस रहस्यमय मुठभेड़ की सच्चाई जानने के लिए घटना की तत्काल न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। मुठभेड़ का क्या कारण था, इसका पता लगाया जाना चाहिए। आरोपितों का परिवार भी मामले की जांच के लिए अदालत जा सकता है। एक और वरिष्ठ वकील संजय पारेख ने कहा कि कानून की नजर में एनकाउंटर को हत्या की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने कथित एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आम तौर पर आत्मरक्षा की बात सुनवाई के दौरान सामने आती है। लेकिन, इस परिस्थिति में मुठभेड़ को सत्यता जानने के लिए तत्काल जांच जरूरी है।

दुष्कर्म के इन मामलों ने देश को झकझोर दिया

निर्भया कांड के बाद अब तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने चारों आरोपितों को गोली मार दी है, लेकिन भारत में दुष्कर्म की यह कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। देश भर से दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो स्थिति भयावह है। जागरूकता के साथ कानून और सजा के प्रावधानों में सख्ती इस समस्या से निजात दिला सकती है।



सोशल मीडिया के संदेशों में पुलिस दिखी हीरो

नई दिल्ली, प्रेड : हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ बर्बरता के चारों आरोपितों की एनकाउंटर में मारे जाने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़े संदेशों की बाढ़ आ गई। शुक्रवार को सुबह के कुछ ही घंटों में इससे जुड़े चार लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। इस जघन्य वारदात के आरोपितों के इस तरह से मारे जाने पर कुछ लोग जहां खुशी व्यक्त कर रहे थे, वहीं कुछ ने इस तरीके पर चिंता व्यक्त की।

एनकाउंटर के बाद जस्टिसफॉर... एनकाउंटर, हैदराबादहॉरर जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर तारीफों और मुखात्मक संदेशों के बीच कई यूजर ने साइबरवाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानार की भी जमकर तारीफ की। वह वर्ष 2008 में इसी तरह की एक मुठभेड़ में शामिल थे, जिसे यूजर ने याद किया। शुक्रवार सुबह जहां लाखों की संख्या में ट्विटर यूजर इस एनकाउंटर की तारीफ कर रहे थे, वहीं दोपहर को हैशटैग हमननवड भी ट्रेंड करने लगी। 20 हजार से ज्यादा ट्वीट इस संबंध में किए गए



और इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए जाने लगे। 'क्या मानवाधिकार दुष्कर्मियों के लिए नहीं हैं?' जैसे सवालों की बाढ़ आने लगी। 'जब आत्मरक्षा और मानवाधिकार बिना किसी अदालती कार्यवाही के एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो दुष्कर्मियों को क्यों बख्शा जाए।' हैशटैग एनकाउंटरनिर्भया से एक यूजर ने लिखा, 'निर्भया के दुष्कर्मों तिहाड़ जेल में सुअरों की तरह खा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर उनका भी एनकाउंटर पागल कुत्तों की तरह कर देना चाहिए। मानवाधिकार सिर्फ ईंसानों के लिए हैं, दरिद्रों के लिए नहीं।' एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, 'मानवाधिकार

सिर्फ मानवों के लिए बने हैं, हैवानों के लिए नहीं। दुष्कर्मों-हैवानों। ये केवल एनकाउंटर के लायक हैं।' सोशल मीडिया पर कई ऐसे भी थे, जो पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते दिखे। सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रेवर ने मुठभेड़ को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' करार देते कहा कि महिलाओं के नाम पर इस तरह की कार्रवाई गलत है। बिना जांच और अभियोग के इस तरह की हत्याएं जनता को विचलित करती हैं और पुलिस और जनता को किसी भी तरह की जवाबदेही से बचाती हैं।' महिला अधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने ट्विटर और फेसबुक दोनों पर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमंस एसोसिएशन

एनकाउंटर के बाद जस्टिसफॉर... एनकाउंटर, हैदराबादहॉरर जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर तारीफों और मुखात्मक संदेशों के बीच कई यूजर ने साइबरवाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानार की भी जमकर तारीफ की। वह वर्ष 2008 में इसी तरह की एक मुठभेड़ में शामिल थे, जिसे यूजर ने याद किया। शुक्रवार सुबह जहां लाखों की संख्या में ट्विटर यूजर इस एनकाउंटर की तारीफ कर रहे थे, वहीं दोपहर को हैशटैग हमननवड भी ट्रेंड करने लगी। 20 हजार से ज्यादा ट्वीट इस संबंध में किए गए

पूरा मामला एक नजर में

- 27 नवंबर 2019 : हैदराबाद के शादनगर में घर जा रही पशु चिकित्सक के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे जला दिया।
- 28 नवंबर : पशु चिकित्सक का अघजलाना शव शादनगर में एक पुलिया के नीचे मिला।
- 29 नवंबर : तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की छानबीन के दौरान 20 से 24 साल के उम्र के चार लोगों को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इस घटना को लेकर देश भर में लोगों ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। पुलिस ने टोल प्लाजा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस को जानकारी मिली कि एक ट्राला यहां करीब 8 घंटे तक खड़ा रहा। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और ट्राले के ड्राइवर और 3 हेल्परों को पुछताछ के लिए हिरासत में लिया। यहां इन आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। इसी दिन तेलंगाना के गृह मंत्री ने महमूद अली ने बेटुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर बहन को फोन करने की बजाय 100 नंबर पर फोन करती तो उसे बचाया जा सकता था।
- 30 नवंबर : कोर्ट ने आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
- 01 दिसंबर : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की घोषणा की। इससे ये उम्मीद जगी कि इस दुःसाहसिक घटना के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम महेंद्र रेड्डी ने इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। साइबरवाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानार ने इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया।
- 02 दिसंबर : तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। संसदे में एक घंटे में ऐसे मामलों में सख्त सजा के निर्धारण की मांग की। साथ ही त्वरित न्याय मिलने के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सदस्यों ने दुष्कर्म के दोषियों को भीड़ के हवाले करने और उन्हें नपुंसक बनाने तक के सुझाव दे डाले।
- 03 दिसंबर : चेरलापल्ली जेल में बंद चार आरोपितों में से एक ने किडनी की बीमारी का इलाज मुहैया कराने की मांग की है।
- 04 दिसंबर : मामले की सुनवाई के लिए महबूबनगर जिला अदालत में विशेष कोर्ट का गठन किया गया ताकि त्वरित न्याय हो।
- 06 दिसंबर : मामले के चारों आरोपितों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया।

चर्चित मामले महिलाओं के खिलाफ क्रूर दुष्कर्म और हिंसा के मामले दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही देश को महिलाओं के प्रति अत्युरक्षित समझा जा रहा है। दुष्कर्म के ऐसे कई मामले हैं जो हाल ही में काफी चर्चित रहे हैं।

दिसंबर 2012 : नई दिल्ली में एक 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। जिसकी बाद में मौत हो गई। पांच लोग और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक ने ट्रायल के दौरान आत्महत्या कर ली और चार को फांसी की सजा सुनाई गई। नाबालिग को तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। इन मामले के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महिला यौन हिंसा के खिलाफ लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो महिलाओं ने भी सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज बुलंद की। इसके बाद यौन अपराधों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया और साथ ही ऐसे घामलों में तेजी से ट्रायल चलाने की बात कही गई और पीछा करने को भी अपराध माना गया।

जनवरी 2018 : जम्मू कश्मीर के कटुआ में एक आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामले सामने आया। इस मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया गया। इसमें तीन पुलिस वाले भी थे।

जुलाई 2019 : उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेनगर पर एक महिला ने 2017 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला के वकील एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जब ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी जिसमें वह यात्रा कर रहे थे। कार में महिला की दो रिश्तेदार भी थीं, जिनकी मौत हो गई। सेनगर ने दुष्कर्म और दुर्घटना में किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया।

20 सितंबर 2019 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी विन्मयानंदन पर कानून की छात्रा ने दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

28 नवंबर 2019 : हैदराबाद के नजदीक महिला पशु चिकित्सक की जली हुई लाश एक चलाईओर के नीचे से मिली। चार लोगों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

5 दिसंबर 2019 : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 23 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को कुछ लोगों ने मिलकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इनमें दुष्कर्म का आरोपी भी था। पीड़िता दुष्कर्म मामले की सुनवाई के लिए अदालत जा रही थी।

किसने क्या कहा

अब एनकाउंटर क्यों हुआ, क्या परिस्थितया थी, यह सब तो पुलिस बताएगी, लेकिन जो कुछ भी वर्तमान में देश में हो रहा है, वह अछू नहीं है। दुकर्म पीड़िता को जिंदा जलाया जा रहा है। समय रहते हुए केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। –अशोक गहलोल, मुख्यमंत्री, राजस्थान

सामूहिक दुकर्म व हत्याकांड के चारों आरोपितों का पुलिस एनकाउंटर करना गलत है। किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। यह न्यायापालिका के अस्तित्व पर चुनौती की तरह है। –ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, बंगाल

कोई भी अपराधी अगर भागने की कोशिश करे तो पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं होता है। मुझे लगता है इस मामले में न्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने मुख्य सचिव को महिला सुरक्षा के लिए दो सप्ताह के भीतर इटीग्रेटेड प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने कहा है। – भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हैदराबाद में पुलिस ने जो किया है, वैसी कार्रवाई देश भर में होनी चाहिए। मैं नेता से पहले एक मां हूं। बक्सर और समस्तीपुर में महिलाओं को जिंदा जला दिया गया है। इन मामलों में अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। अभी तक मुजफ्फरपुर कांड के आरोपियों को भी सजा नहीं मिल रही है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहे है। –राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता

हैदराबाद केस की पीड़िता के परिवार को न्याय मिला, लेकिन जब तक केंद्र सरकार कठोर कानून नहीं बनाती, कुछ नहीं होगा। निर्भया के दोषी अभी भी सफ़र की मेहमान हैं। दोषियों को हर हाल में छह माह में सजा मिलनी चाहिए। स्वाति जयहिंद, अय्यश, दिल्ली महिला आयोग

इसको कानूनी प्रावधान देने पर भी प्रशासन और कानून के क्षेत्र में कार्य करने वालों को विचार करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए ज्यादातर सुपरिटेड ही सिम्पेदार हैं। –कुैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा

हैदराबाद के अंदर दरिदों को तो पुलिस ने मार गिराया, अब आवश्यकता है उन्नाव के दरिदों को सजा देने की। इन दरिदों को भी सरेआम चौराहा पर जिंदा जला देना चाहिए। मानवाधिकार आयोग को हैदराबाद जाना चाहिए और पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। –साध्वी प्राची

केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्यों को लिखा पत्र

नई दिल्ली, प्रे्ट : केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यों को पत्र लिखते हुए उन्हें हस्तभंव कदम उठाने के लिए कहा है। उसने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मामले में केंद्र सरकार कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी।

गृह सचिव अजय कुमार भल्ल्ना ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वह हाल ही में महिलाओं एवं लड़कियों के साथ हुई तीन उल्टीइन की जघन्य व दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर यह पत्र लिख रहे स्कूल पहुंचे। पिता लगी कि वह स्कूल नहीं पहुंचीं। नाते रिश्तेदारी में खोजने पर निराशा मिलने के बाद 5 दिसंबर को पिता ने तहरीर दी। कुछ मोबाइल फोन नंबर पुलिस को दिए, जिनसे किशोरी बात करती थी। पर, तीन दिन बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। थाना प्रभारी अमिल सिंह ने कहा कि किशोरी को खोज रहे हैं। जांच के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे।

गई है। आरोपित को किशोरों सुधार भूेज भेजा गया है। बच्चों का जिला अस्पताल में भेंडिकल चेकअप कराया गया है। इसमें प्राइवेट पार्ट पर इंजरी नहीं मिली है।

बिहार समेत देशभर में पोर्न साइट पर लगे रोक : नीतीश

प्रतिबंध के लिए लिखेंगे केंद्र को पत्र, हैदराबाद की घटना पर जताई चिंता

कहा – सोशल साइट का कुछ लोग कर रहे हैं दुरुपयोग



ज्यादा युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें जन जागरूकता की जरूरत है, इसमें मीडिया की भूमिका अहम है। अभियान चलानकर रिटार्डेशन, शिक्षक और दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग से राय लेनी चाहिए, एक मजबूत संदेश दिया जाए ताकि देश का नाम और ऊंचा हो सके।हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत नई जागृति लाने काम करेगी।

हैदराबाद पुलिस के इस निर्णय से आज पूरा देश खुशी मना रहा है। देश की महिलाओं में आज एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का उदय हुआ है। –बबीता फोगाट, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान व भाजपा नेता

विश्व मीडिया में भी छाई खबर

वाशिगटन पोस्ट से लेकर बीबीसी और द टाइम्स ने प्रमुखता से दी जगह

खुशियां मना रहे हैं।

सीएनएन ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। महिला चिकित्सक की दुकर्म के बाद हत्या और उसको लेकर देश भर में पनपे आक्रोश के बारे में बताते हुए सीएनएन ने कहा है कि रैलियों में शामिल लोग आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे।

बीबीसी ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर खबर दी है। लोग पुलिस की सरहाना करते हुए कह रहे हैं कि न्याय हो गया। निर्भया की घटना का जिक्र करते हुए बीबीसी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर तब बहुत आवाज उठी थी, लेकिन अपराध में कोई कमी नहीं आई।

ब्रिटिश समाचार पत्र ‘द गार्जियन’ और ‘द टेलीग्राफ’ ने भी एनकाउंटर को प्रमुखता के साथ जगह दी है। द टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला चिकित्सक के साथ बर्बरत के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। जा ख रह है, उनकी सरहाना हो रही है, उन पर फुल बरसाए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर

वया बोले न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचैलैया

29 मार्च, 1997 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में उस समय के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचैलैया ने कहा था कि केवल दो ही परिस्थितियों में पुलिस घातक बल का उपयोग कर सकती है।



पहली स्थिति : आपराधिक मामलों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक अहम एवं जरूरी अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति विशेष को अपना बचाव करने के लिए प्रेरित करता है और यह प्राधान्य उसे आवश्यक बल का उपयोग करके अपने हमलावर पर अपनी जीत को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर के बचाव में साइबराबाद पुलिस आयुक्त यही दलील रख रहे हैं। भारत भर में मुठभेड़ों के अधिकांश मामलों में, पुलिस यही दलील देती है।

दूसरी स्थिति : सीआरपीसी की धारा 46 के तहत पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति की मौत के कारणाों को सही ठहरा सकते हैं। न्यायमूर्ति वेंकटचैलैया ने लिखा, यह प्राधान्य पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

हैदराबाद पुलिस ने सही कदम उठाया है। अब मैं उम्मीद कर सकती हूं कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे लोग अपराधियों को सबक सिखाने के रास्ते निकालेंगे।अपराधिक तत्वों के मन में भय पैदा करना जरूरी है। – साध्वी उमा भारती, भाजपा नेता

दुष्कर्म पीड़ितों के परिवार बोले –सही है मुठभेड़

राय ▶ एक स्वर में कहा–हर केस में न्याय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए

कहा–सजा ऐसी हो जिससे सभी को सबक मिले
जेएनएन, नई दिल्ली

हैदराबाद एनकाउंटर के बाद एक तर्फ जहां देश में इसके सही और गलत होने की बहस छिड़ गई है। वहीं, जम्मू के कटुआ में दुकर्म और हत्या का शिकार हुई आठ साल की बच्चों के माता-पिता ने हैदराबाद में हुई मुठभेड़ पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़िता के परिजनों को कोर्ट में लंबे ट्रायल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा।

पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर ये सभी आरोपी दुकर्म में शामिल हों, तो पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिल गया है। उन्होंने जो किया था, उसके लिए दुकर्म और हत्याएं करते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं मारे जाते। दूरगं को भी इसी तरह से क्यों नहीं मारा जाता। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना था कि गरीब परिवार से संबंध रखने वाले चारों आरोपित अच्छा कमाते थे।लेकिन अपनी कदम को फांसी की सजा सुनाई थी।लेकिन तब से ये मामला बांबे हाईकोर्ट में लंबित है।

हैदराबाद एनकाउंटर के बाद निर्भया के गांव में जन्म : हैदराबाद में दुकर्म के दोषियों को पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्म का माहौल रहा। यह सूचना मिलते ही सात साल

पुणे की पीड़िता के पति ने हैदराबाद पुलिस को दी बधाई

पुणे, प्रे्ट : हैदराबाद की बेटी की तरह ही लगभग दस साल पहले दरिदों की शिकार हुई पुणे की पीड़िता के पति ने साइबरागबाद पुलिस को एनकाउंटर के लिए सरहाना की है।

महिला के पति ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इससे दुकर्मियों को स्पष्ट संदेश जाएगा। मैं हैदराबाद पुलिस को बधाई देना चाहूंगा।’ पुणे में सात अक्टूबर, 2009 को आइटी कंपनी में काम करने वाली महिला का दुकर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

पुणे की अदालत ने 2017 में इस मामले में तीन आरोपितों योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को फांसी की सजा सुनाई थी।लेकिन तब से ये मामला बांबे हाईकोर्ट में लंबित है।

महिला के पति ने कहा कि अदालत ने सजा सुना दी है। लेकिन इतने वर्ष बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। वह महारुग्ध सरकार से प्रक्रिया तेज करने के लिए कहने वाले हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

बता दें कि पीड़िता पुणे के बाहरी इलाके खराड़ी में आइटी कंपनी में काम करती थी। घटना वाले दिन वह पर लौटने के लिए खराड़ी में बस का इंतजार कर रही थी, जहां से उसे अगवा कर लिया गया था। दो दिन बाद पुणे जिले के खेड़ तहसील के जारवेडी के जंगल

दस साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा है महिला का परिवार

दुकर्म के बाद हत्या के मामले में तीन दरिदों को हुई है फांसी की सजा

एनकाउंटर से खुश होकर पुलिसकर्मियों को एक-एक लीटर पेट्रोल मुफ्त

नईदुनिया, बिदिशा : तेलंगाना पुलिस द्वारा दुकर्म और हत्या के चारों आरोपितों का एनकाउंटर करने से खुश होकर मध्य प्रदेश में बिदिशा जिले के गंजबासोदा में एक पेट्रोल पंप संचालक स्थानीय पुलिसकर्मियों को एक-एक लीटर पेट्रोल मुफ्त दे रहा है। इस पेट्रोल पंप का उदरगत शुक्रवार को ही हुआ है।।पंप संचालक ने शनिवार को दोपहर दो बजे तक पुलिसकर्मियों को पेट्रोल मुफ्त देने की घोषणा की है। पेट्रोल पंप संचालक रघुवीरसिंह रघुवंशी और ब्रजेश रघुवंशी के मुताबिक, शुक्रवार देर शाम तक 11 पुलिसकर्मियों को 11 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जा चुका था।

में उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम से पता चला था कि दुकर्म के बाद गला दबाकर महिला की हत्या कर दी गई थी।

आरोपितों की सुरक्षा को लेकर दिनभर आशंकित रही पुलिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव

दुकर्म पीड़िता को जिंदा फूंकने की कोशिश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने कड़ी शुक्रवार को शाम पाँचे छह बजे उन्नाव कोर्ट पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हैदराबाद में डॉक्टर बेटी के गुनहगारों के एनकाउंटर के बाद पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकित थी और सुरक्षित जेल पहुंचाने की कवायद करती रही। आरोपितों को उन्नाव या पुरवा कोर्ट में पेश करने को लेकर भी पूरे दिन पुलिस ने भ्रम बनाए रखा। हैदराबाद मामले के आरोपितों के एनकाउंटर के बाद उन्नाव के इस जघन्य कांड को लेकर लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा था। पांचों आरोपितों के वकीलों व अन्य लोगों की हलचल काफी बढ़ गई थी। इसको लेकर जिला पुलिस एहतियात बरती रही।कड़ी सुरक्षा के बीच शिवम त्रिवेदी, उसके पिता रामकिशोर, शुभम त्रिवेदी, उसके पिता हरिशंकर त्रिवेदी (प्रधान पति) और उमेश बाजपेई (पंचायत मित्र) को बिहार थाने से सुबह ले जाकर सुमेरपुर सीएफएस में भेंडिकल परीक्षण कराया और वापस थाने लाई। इसके बाद पुलिस आरोपितों को कोर्ट में हाजिर कराने को लेकर बेहद चौकन्ना रही। वकीलों, मीडिया व आम लोगों को मुनहक करने के लिए पुरवा कोर्ट में पेश करने की बात बताई गई। 5 बजे कोर्ट बंद होने का समय होने के चलते वकील



उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शुक्रवार को दुकर्म पीड़िता को जिंदा जलाने के आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जेल गेट पर पुलिस वाहन से उतरते आरोपित। जागरण

और अन्य लोग जाने लगे। उधर, पुरवा कोर्ट को समय पूरा होने के बाद भी खोले रखा गया। उन्नाव में भी कोर्ट देर तक खुला रहा। पुलिस शाम को कैदी वाहन से आरोपितों को कोर्ट लाई और पेशी करारक जेल पहुंचा दिया गया।

पीड़िता के चाचा को धमकियां : मुख्य आरोपित शिवम त्रिवेदी ने पीड़िता के चाचा को जान से भाग्ने की धमकी दी थी। यह बात जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अधिकार

लालगंज पुलिस सतर्क होती तो बच सकती थी वारदात

रायबरेली : लालगंज पुलिस चेत जाती तो पीड़िता दरिदगी से बच सकती थी। पीड़िता ने 2018 में थाने में शिकायत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने उन्नाव के बिहार थाना में चार मार्च 2019 को गृहार लगाई।बिहार पुलिस ने शिवम और शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो लालगंज पुलिस ने भी कोर्ट के आदेश पर अगले दिन ही 5 मार्च 2019 को दोनों आरोपितों पर रिपोट दर्ज की।शिवम जेल गया और हाई कोर्ट से जमानत पर छूट गया, लेकिन लालगंज पुलिस ने उसके बारे में पता कौना मुनासिब नहीं समझा और छूटकर आप शिवम ने साथियों संग वारदात को अंजाम दे दिया।

बनाकर बिहार थाना पुलिस ने शिवम और शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि पीांता ने मजिस्ट्रेटी बयान में एसडीएम, नायब तहसीलदार और अन्य मध्यस्थता का रास्ता निकालने को कहा था। (पंचायत मित्र) के नाम बताए थे। इस पर विवेचना में उनके नाम भी बहा दिए गए।

बनाकर बिहार थाना पुलिस ने शिवम और शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि पीांता ने मजिस्ट्रेटी बयान में एसडीएम, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को इन दोनों के अलावा शिवम के पिता रामकिशोर, शुभम के पिता हरिशंकर त्रिवेदी (प्रधान के पति), उमेश बाजपेई (पंचायत मित्र) के नाम बताए थे। इस पर विवेचना में उनके नाम भी बहा दिए गए।

हरकत में आ गए। पीड़िता के चाचा को बुलाकर को समय पूरा होने के बाद भी खोले रखा गया। उन्नाव में भी कोर्ट देर तक खुला रहा। पुलिस शाम को कैदी वाहन से आरोपितों को कोर्ट लाई और पेशी करारक जेल पहुंचा दिया गया।

पीड़िता के चाचा को धमकियां : मुख्य आरोपित शिवम त्रिवेदी ने पीड़िता के चाचा को जान से भाग्ने की धमकी दी थी। यह बात जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अधिकार

रजधानी रांची में लॉ छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुकर्म के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने डोरंडा दुकर्म मामले के सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि इस मामले में वह खुद प्लन-प्लन का अपडेेंट ले रहे हैं। किसी भी हाल में मामले को लटकने नहीं दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने कहा कि इस मामले का डोरंडा जैसा हाल नहीं होने देंगे। पुलिस ने भी सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया कि जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी। घटना के बाद डीजली और रांची के एसएसपी ने उस इलाके में पुलिस की गश्ती बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने पहले गोलीबारी की घटना होना सवाल खड़े करवाते हैं।



डॉ. रवि रंजन। फाइल

सुबह दस बजे तो उठाकर पर रिस्यांस मिल जाएगा, लेकिन रात दस बजे के बाद कोई रिस्यांस नहीं मिलता है। इसी तरह, महिला हेलपलाइन भी काम नहीं कर रहा है।

हालांकि, सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति एप के जरिए शिकायत करने की व्यवस्था की है, लेकिन यह अभी कितना काम कर रहा है, इसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता।

सरकार स्ट्रीट लाइट के लिए मांगती है पैसे, कोताही बर्दाश्त नहीं

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने कहा कि नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के पास की सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा इलाका अंधेरा में डूबा रहता है। जब संस्थान की ओर से सरकार के पास आवेदन भेजा जाता है, तो सरकार इसके बदले में संस्थान से पैसे की मांग करती है। अदालत ने कहा कि अगर कोई संस्थान के विकास में बाधक बनता है, तो कोर्ट उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कदम उठाएगी।

इस पर अदालत ने कुछ कि डायल 100 या फिर शक्ति एप को फूल प्रूफ बनाना होगा। अदालत ने महिला सुरक्षा के लिए प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, एनएच और स्टेट एनएच पर सीसीटीवी कैमरे अन्य उपायों पर सरकार से। जानकारी मांगी है। इसके अलावा, सीआइटी एप के आइजी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

सेंसेक्स **40,445.15**
334.44

निफ्टी **11,921.50**
96.90

सोना **₹ 38,895**
प्रति दस ग्राम ₹ 26

चांदी **₹ 45,547**
प्रति किलोग्राम ₹ 52

डॉलर **₹ 71.20**
₹ 0.09

कूड (बेट) **\$ 63.24**
प्रति बैरल



सरकार टेलीकॉम उद्योग की चिंता समझ रही है। यह पूरी इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। हमें समझना है कि सरकार हर सेक्टर को राहत देने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी।
— कुमार मंगलम बिड़ला, चेयरमैन, वोडाफोन आइडिया

कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को ओपेक राजी

विना, एएफपी : तेल उत्पादक देशों का समूह ओपेक उत्पादन में रोजाना पांच लाख बैरल की कटौती पर राजी हो गया है। बैटक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और गैर-ओपेक सदस्य रूस भी शामिल था। इतना ही नहीं, ओपेक ने कहा कि सऊदी अरब समेत कई अन्य सदस्य देश अपनी इच्छा से भी कटौती करेंगे। इस तिहाज से कटौती का स्तर 21 लाख बैरल प्रतिदिन के ऊपर भी जा सकता है।

हकीकत ▶ भारी घाटे से जूझ रही कंपनी ने मौजूदा स्थिति में नए निवेश को बताया बेमानी

वोडा-आइडिया सरकारी राहत के बिना बंद हो जाएगी : चेयरमैन

कहा - अगर सरकार ने मदद नहीं की तो कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में ले जाएंगे



प्रतीकात्मक

कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया पर सरकार के अनुमानित 44,150 करोड़ रुपये के मुआवजे का बिल जारी किया गया है। इस प्रक्रिया में वोडाफोन आइडिया पर कर्ज की कुल राशि 1.17 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंची है। जियो का परिचालन शुरू होने के बाद से उसकी दोनों प्रतिद्वंद्वी कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन लगातार घाटे में रही हैं।

विड़ला का कहना था कि डूब रही संपत्ति में निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा और हमें दुकान बंदानी पड़ेगी। विड़ला के मुताबिक सरकार ने माना है कि टेलीकॉम बेहद संवेदनशील सेक्टर है और डिजिटल इंडिया का पूरा का पूरा कार्यक्रम इसी पर निर्भर है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार केवल टेलीकॉम सेक्टर को नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर सेक्टर को राहत देने के बारे में विचार करेगी।

करेगा कि सरकार से राहत मिलती है या नहीं और कानूनी मसलों का कोई सकारात्मक समाधान होता है या नहीं।

मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो का मुकाबला करने के लिए पिछले वर्ष वोडाफोन और आइडिया ने कारोबार का विलय कर लिया। इस प्रक्रिया में वोडाफोन आइडिया पर कर्ज की कुल राशि 1.17 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंची है। जियो का परिचालन शुरू होने के बाद से उसकी दोनों प्रतिद्वंद्वी कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन लगातार घाटे में रही हैं।

विड़ला का कहना था कि डूब रही संपत्ति में निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा और हमें दुकान बंदानी पड़ेगी। विड़ला के मुताबिक सरकार ने माना है कि टेलीकॉम बेहद संवेदनशील सेक्टर है और डिजिटल इंडिया का पूरा का पूरा कार्यक्रम इसी पर निर्भर है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार केवल टेलीकॉम सेक्टर को नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर सेक्टर को राहत देने के बारे में विचार करेगी।

इसी तरह के वयान में वोडाफोन सीईओ मांग चुके हैं माफ़ी

पिछले महीने वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार दूरसंचार ऑपरेटोर पर भारी-भरकम टैक्स और शुल्क का बोझ डालना बंद नहीं करती है, तो भारत में कंपनी के भविष्य पर संकट आ सकता है। सरकार ने रीड के इस बयान और उनके लहजे को आपत्तजनक माना और अपनी नाराजगी जाहिर की। सरकार के इस रुख के बाद कंपनी ने कहा है कि वह भारत में बने रहने को लेकर प्रतिबद्ध है। वोडाफोन सीईओ निक रीड ने सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि कंपनी भारत में अपना निवेश बनाए रखने को इच्छुक है। रीड ने कहा कि लंदन में उनके दिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

ई-कॉमर्स कंपनियों हर वर्ष दाखिल करेगी एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हर साल एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य बना दिया है। कंपनियों को यह रिपोर्ट हर साल 30 सितंबर से पहले अपने ऑडिटर्स के जरिये दाखिल करनी होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां सरकार के नियमों का पालन कर रही हैं।

एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एफडीआइ कंप्लायंस की रिपोर्ट ई-कॉमर्स कंपनियों को सितंबर के अंत तक दाखिल करनी होगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि हर साल रिपोर्ट दाखिल होने से यह पता लगाना आसान होगा कि कंपनियां एफडीआइ नियमों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं। हालांकि कई कंपनियों के अधिकारियों के लिए वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले एफडीआइ कंप्लायंस का प्रमाणपत्र हासिल करने को अनिवार्य बनाया जाए। वर्तमान में देश में तीन बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट और क्लब फैंक्ट्री काम कर रही हैं।

कंपनियों को सालाना दाखिल करनी होगी कंप्लायंस रिपोर्ट
एफडीआइ एफडीआइ नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा



प्रतीकात्मक

इसके चलते खुदरा कारोबारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी कंपनियां सरकार पर लगातार एफडीआइ नियमों में राहत के लिए दबाव बनाती रही हैं। वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑनलाइन इंडिया ट्रेडर्स (केओ) चाहता है कि सरकार विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को एफडीआइ नियमों के मामले में कोई राहत नहीं दे। संगठन ने सरकार को सुझाव भी दिया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले एफडीआइ कंप्लायंस का प्रमाणपत्र हासिल करने को अनिवार्य बनाया जाए। वर्तमान में देश में तीन बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट और क्लब फैंक्ट्री काम कर रही हैं।

त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले डिस्काउंट और ब्यूट को लेकर भी सरकार को व्यापार संगठनों ने आपत्त जताई थी। उसके बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कंपनियों को चेतावनी भी दी थी कि यदि इस तरह के ऑफर्स पर रोक नहीं लगायी गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक महीने पहले गोयल से साथ अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल की मुलाकात में भी यह मुद्दा चर्चा में आया था। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐंडेडर्स के प्रोडक्ट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिनमें उनकी इन्विटी हिस्सेदारी है।

अरैमको ने आइपीओ से जुटाई रिकॉर्ड रकम

न्यूयॉर्क, राबटर : सऊदी अरब की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरैमको ने गुरुवार को अपना प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) लांच कर दिया। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने ग्राइस रेंज के ऊपरी स्तर पर 2,560 करोड़ डॉलर (करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये) जुटाए हैं। इस रकम के लिहाज से अरैमको आइपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा रकम जुटाने वाली कंपनी बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के नाम था, जिसने 2014 में आइपीओ के जरिए 2,500 करोड़ डॉलर जुटाए थे।

1.80 लाख करोड़ रुपये जुटाकर चीन की अलीबाबा को पीछे छोड़ा



प्रतीकात्मक

पूँजीकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई

विदेशी बाजारों में नहीं होगी लिस्टिंग : पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सऊदी अरैमको के आइपीओ दो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगे। चूंकि पहले कंपनी पांच प्रतिशत शेयरों की बिक्री आइपीओ के जरिये करने वाली थी, लिहाजा उस वक्त दो प्रतिशत शेयर सऊदी अरब के तदबलु शेयर बाजार (करीब 121 लाख करोड़ रुपये) होती है। इस हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि कंपनी 15 फीसदी ग्रीनशू विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इससे आइपीओ का आकार बढ़कर 2,940 करोड़ डॉलर तक हो सकता है।

अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज की सऊदी अरैमको के साथ हिस्सेदारी बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है। रिलायंस की 42वीं एजीएम में यह सफा किया गया था कि अरैमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल-टु-केमिकल बिजनेस का 20 फीसदी हिस्सा खरीदेगी। इसके लिए सऊदी आरमको 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के मामले में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। हिस्सेदारी खरीदने के बाद रिलायंस रिफाइनरी को अरैमको गेजाना पांच लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करेगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज से झील की बात : एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश

आरबीआइ से निराश बाजारों पर मायूसी हावी

मुंबई, प्रेट : रोपो रेट में कटौती नहीं होने से निराश शेयर बाजारों पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में शुरूवार को मायूसी हावी रही। दिन के कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी 12,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक संसेक्स भी 334.44 अंकों की गिरावट का शिकार हुआ। कारोबार के आखिर में संसेक्स 40,445.15 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 96.90 अंक यानी 0.81 प्रतिशत टूटकर 11,921.50 पर स्थिर हुआ।

निफ्टी 12,000 के स्तर से नीचे आया, संसेक्स 334 अंक फिसला

यस बैंक के शेयरों पर भारी दबाव, करीब 10 प्रतिशत टूटा



प्रतीकात्मक

संसेक्स पैक में शुरूवार को सबसे ज्यादा दबाव निजी क्षेत्र के कर्जदाता यस बैंक के शेयरों पर दिखा। इस बैंक के शेयर बीएसई पर 9.82 प्रतिशत यानी 6.10 रुपये लुढ़ककर 56 रुपये के स्तर पर रहे गए। गुरुवार को अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के बैंक का आउटलुक घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया था। रेटिंग पर इस दबाव के चलते शुरूवार को बैंक के शेयर खासा लुढ़क गए। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा था कि अगर बैंक कर्जव 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, तो उसकी रेटिंग में फिर से सुधार किया जा सकता है।

संसेक्स में शुरूवार को एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा एचडीएफसी के शेयर भी खासा टूट गए। दूसरी बैंक का आउटलुक घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया था। रेटिंग पर इस दबाव के चलते शुरूवार को बैंक के शेयर खासा लुढ़क गए। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा था कि अगर बैंक कर्जव 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, तो उसकी रेटिंग में फिर से सुधार किया जा सकता है।

भारतीय बाजारों के विपरीत एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में ज्यादातर निवेशकों का मूड पॉजिटिव था। इसकी वजह यह थी कि अधिकांश निवेशकों का मानना है कि अमेरिका तरफ कोटक बैंक, टाटा स्टील, आरआइएल, एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस व एचडीएफसी बैंक के शेयरों में सुधार देखा गया। सेक्टरल इंडेक्स के मामले में टेलीकॉम को छोड़कर अन्य सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए।

सोना फिसला, चांदी में मामूली सुधार

नई दिल्ली, प्रेट : शुक्रवार को सराफा बाजार में सोना 26 रुपये फिसलकर 38,895 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर स्थिर हुआ। हालांकि चांदी में थोड़ा सुधार देखा गया और वह कारोबार के आखिर में 52 रुपये चढ़कर 45,547 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर स्थिर हुई। एचडीएफसी सिविलिटिज के कर्मांडीटो एनालिस्ट तपन पटेल का कहना था कि डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने के चलते सोने के भाव में फिसलन देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,473 डॉलर और चांदी भी थोड़ा फिसलकर 16.88 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार कर रहे थे।

देखा गया। सिंगो और ताइपेई के शेयर बाजार की 0.4 प्रतिशत तक सुधरे। यूरोपीय बाजारों में शुरूआती कारोबार के दौरान लंदन, फ्रैंकफर्ट और पेरिस के शेयर बाजार भी बढ़कर कारोबार कर रहे थे।

इनग्राम माइक्रो क्लाइड समिट में भारतीय कंपनियां

नई दिल्ली (वि) : अमेरिका में होने वाली इनग्राम माइक्रो क्लाइड समिट के लिए भारत की बी2बी कंपनी रीपडर का चयन हुआ है। यह कंपनी अगले साल मियामी में होने वाली अंतरराष्ट्रीय

प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगी। इसमें प्रथम विजेता को दस लाख डॉलर की फंडिंग मिलेगी। इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए चयन की प्रक्रिया पिछले साल अगस्त से प्रारंभ हुई थी।



ईंधन की खपत (हजार मी. टन में)

ऑटो कंपोनेंट उद्योग का टर्नओवर 10 प्रतिशत गिरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पहली छमाही के दौरान निर्यात में हुई महज 2.7 परसेंट की वृद्धि

सूस्ती की वजह से एक लाख अस्थायी श्रमिकों की गई नोकरी



प्रतीकात्मक

ऑटो कंपोनेंट में मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एक्मा) के मुताबिक इस अवधि में उद्योग का टर्नओवर 1.79 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.99 लाख करोड़ रुपये का रहा था। एसोसिएशन का कहना है कि इसके चलते उद्योग को करीब दो अरब डॉलर के निवेश का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि इस अवधि में उद्योग के एक्सपोर्ट में 2.7 परसेंट की वृद्धि की गई है।

ऑटो सेक्टर की मंदी ने कंपोनेंट उद्योग पर गहरा असर डाला है। है। कंपोनेंट उद्योग की बिक्री में पिछली बार ऐसी गिरावट 2013-14 में देखी गई जब इसके टर्नओवर में दो प्रतिशत की कमी हुई थी। जहाँ तक उद्योग में नौकरियों जाने का सवाल है जैन ने कहा कि कंपोनेंट उद्योग में पिछले साल अक्टूबर से इस जुलाई तक छंटनी का दौर चला

है। हालांकि छंटनी का सर्वाधिक असर अस्थायी कर्मचारियों पर ही हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उद्योग का क्षमता उपयोग 50 परसेंट रह गया है। वाहन उद्योग में उत्पादन चरम पर होने पर भी कंपोनेंट उद्योग का क्षमता उपयोग अधिकतम 80 परसेंट तक ही रहता है। पिछले

आरबीआइ का सर्वे

आर्थिक हालात के बेहतरी की उम्मीद पांच वर्षों के निचले स्तर पर, 13 शहरों में कराया गया सर्वे, 5,334 परिवारों से आरबीआइ ने ली राय

आर्थिक हालात को लेकर जनता की नाउम्मीदी बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक हालात को ट्रैक पर लाने के लिए सरकार लगातार भले ही प्रयास कर रही है, लेकिन रस्ता बहुत मुश्किल दिखता है। आरबीआइ के कंस्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट ने इसका संकेत दे दिया है। रिपोर्ट का सार यह है कि देश के आर्थिक हालात, महंगाई, रोजगार की स्थिति को लेकर नाउम्मीदी रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दरअसल, निकट भविष्य में हालात नहीं सुधरने की बात मानने वालों की संख्या मार्च, 2014 के बाद सबसे कम है। देश के 13 बड़े शहरों में कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक नवंबर, 2019 में कंस्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स घटकर 85.7 प्रतिशत रहा है। दो महीने पहले यह 89.4 प्रतिशत था।



प्रतीकात्मक

आम जनता का मूड भांगने के लिए आरबीआइ ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना व तिरुअनंतपुरम के 5,334 परिवारों के बीच यह सर्वे करवाया है। हर दो महीने पर केंद्रीय बैंक यह सर्वे करवाता है और ब्याज दरों पर फैसला करने या आर्थिक विकास दर के अनुमान लगाने

में इस सर्वे की अहम भूमिका होती है। गुरुवार को ही आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। पिछले सात महीनों में केंद्रीय बैंक उक्त अनुमान में पांच बार कटौती कर चुका है। अप्रैल में आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सात प्रतिशत

विकास दर का अनुमान लगाया था। बहरहाल, सर्वे के मुताबिक नवंबर में 51.6 फीसद लोगों ने कहा है कि सामान्य आर्थिक हालात पहले से खराब हुए हैं। 30 फीसद लोगों का कहना है कि स्थिति सुधरी है, जबकि 18.4 फीसद का मानना है कि हालात में बदलाव नहीं हुआ है। दो

अभी रुलाएगा प्याज, ज्यादातर शहरों में कीमत 100 के पार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्याज की किल्लत से राहत के लिए उपभोक्ताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विभिन्न राज्यों की राजधानियों व ज्यादातर महानगरों में प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। इस बीच सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि आयातित प्याज की पहली खेप के 20 दिसंबर तक पहुंचने की संभावना है।

राज्यों की राजधानियों व महानगरों में विक रहा सबसे महंगा

आयातित प्याज की पहली खेप के 20 तक पहुंचने की संभावना

खरीफ सीजन वाली प्याज की फसल के खराब होने से पैदावार में भारी कमी आई है। इसी कारण प्याज की कीमत आसमान छू रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के दैनिक मूल्य निगमों सेल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्याज का अधिकतम मूल्य 165 रुपये व न्यूनतम 42 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। देश के 100 से अधिक शहरों में प्याज का औसत मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, शिलांग,

अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, पंचकुला, शिमला, देहरादून और चंडीगढ़ में प्याज 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। संसद में भी प्याज की कीमत का मुद्दा गेजाना उठाया जा रहा है। शुक्रवार को भी राज्यसभा में सवाल पूछे गए। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री दानव रावसेहव दादाराव ने बताया कि आयातित प्याज की खेप के 20 दिसंबर तक पहुंचने की संभावना है। दुनिया के विभिन्न देशों में प्याज की उपलब्धता पर काम जारी है। सरकारी एजेंसी एएमटीसी इसमें जुटी हुई है। खरीफ सीजन वाली प्याज की पैदावार में भारी गिरावट आई है। पहले मानसून की अधिक देर तक होने वाली भारी बारिश ने प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है।

